विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मैनुअल संख्या–17	
1.	डेरी विकास विभाग : एक दृष्टि में	1
2.	विभाग द्वारा संचालित योजनायें	1
3.	जिला योजना का विवरण	2
4.	सघन मिनी डेरी योजना की प्रगति रिपोर्ट	2–3
5.	10वीं पंचवर्षीय योजना तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना का भौतिक लक्ष्य व उपलब्धियॉ	4
6.	दुग्ध विकास कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण हेतु आगामी वर्षों की रणनीति	5–6
7.	दुग्ध अवशीतन केन्द्र/डेरी प्लान्ट की स्थिति	6–7
8.	सामान्य प्रगति विवरण (दुग्धोपार्जन, तरल दुग्ध बिक्री, सदस्यता आदि का विवरण वर्ष 2002–03 से वर्तमान तक)	7
9.	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के क्रम में सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारी का विवरण	8
10.	जिला सेक्टर योजना वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना हेतु अनुमोदित मार्ग–निर्देशिका	9–17

1. डेयरी विकास विभाग एक दृष्टि में:–

- 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, गठित एवं कार्यरत।
- 09 दुग्धशालाएं, जिनकी दैनिक क्षमता 2.05 लाख ली0 प्रतिदिन।
- 11 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 0.71 लाख ली0 प्रतिदिन।
- 39 बल्क मिल्क कूलर की स्थापना जिनकी क्षमता 0.74 लाख ली0 प्रतिदिन।
- 100 मै0टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला।
- 140 दुग्ध मार्गो पर 3072 दुग्ध समितियां गठित।
- 1.24 लाख दुग्ध उत्पादक सदस्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी।
- 772 महिला दुग्ध समितियां जिनमें 0.31 लाख महिलाओं की भागीदारी।
- महिला दुग्ध समितियों में 812 स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- 1.32 लाख ली0 दूध प्रतिदिन उर्पाजित (वार्षिक औसत)।
- 1.29 लाख ली0 दूध प्रतिदिन नगर विक्रय (वार्षिक औसत)।

2. वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित योजनाएं:–

जिला सेक्टर योजना

- ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का गठन।

राज्य सेक्टर योजना

- डेयरी विकास योजना
- सघन मिनी डेयरी परियोजना।
- महिला डेयरी विकास परियोजना।
- सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

3. जिला सेक्टर योजना(ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का गठन):–

- योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं के गठन एवं तकनीकी निवेश कार्यक्रम यथा प्राथमिक पशुचिकित्सा, डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन, पशुआहार अनुदान, दुग्ध कक्ष एवं भूसा गोदाम की स्थापना आदि मद अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
- वर्ष 2007–08 में इस योजनान्तर्गत मु0 276.03 लाख रू0 स्वीकृत किये गये थे।
- वर्ष 2008–09 में मु0 322.36 लाख रू0 का प्राविधान है।
- विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर विभिन्न मदों में जनपदों द्वारा धनराशि का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है, जो विभाग स्तर पर उपलब्ध होता है।

विभिन्न मद अन्तर्गत अनुमोदित मानकों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	मद	प्रति इकाई लागत
1.	दुग्ध सहकारी समितियों का गठन	रू0 0.475 लाख मात्र।
2.	डिवरमिंग	रू0 40.00 प्रति पशु।
3.	टीकाकरण	रू0 15.00 प्रति पशु।
4.	प्राथमिक पशुचिकित्सा	रू0 30.00 प्रति पशु।
5.	आपातकालीन पशुचिकित्सा यूनिट	रू0 4.68 लाख मात्र।
6.	दुग्ध कक्ष निर्माण	रू0 2.00 लाख मात्र मैदान क्षेत्र, रू0 2.50 लाख मात्र पर्वतीय क्षेत्र हेतु।
7.	पशुआहार अनुदान	रू0 1.00 प्रति किग्रा0 मैदानी क्षेत्र, रू0 2.00 प्रति किग्रा0 पर्वतीय क्षेत्र हेतु।
8.	हैडलोड अनुदान	रू0 0.15 एवं रू0 0.30 प्रति ली0 क्रमशः मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र हेतु।

4. सघन मिनी डेयरी योजना–

- समिति सदस्यों को दुधारू पशु क्रयार्थ बैंक ऋण एवं शासकीय अनुदान की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु इस योजना का संचालन वर्ष 2001–02 में प्रारम्भ किया गया था।
- आगामी 5 वर्षो के लिए विस्तारीकरण योजना वर्ष 2004–05 में स्वीकृत।
- वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत 1600 मिनी डेयरी यूनिट स्थापना का लक्ष्य ।
- नाबार्ड द्वारा अनुमोदित प्रति लागत इकाई का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	मद	धनराशि रू0 में
1.	**बैंक ऋण** दो ग्रेडेड भैंस/क्रास ब्रेड गाय की कीमत 15000 प्रति पशु	 30000.00
2.	**अनुदान–** 2.1 पशु यातायात पर व्यय 2.2 प्रथम बार दाने पर व्यय 2.3 पशु बीमा एवं लाभार्थी बीमा 2.4 मार्जिन मनी	 2500.00 560.00 2520.00 3000.00
3.	**लाभार्थी विनियोजन**	1500.00
	कुल योग	**40080.00**

भौतिक प्रगति (वर्ष 2007–08 तक)

सघन मिनी डेयरी

क्र.सं.	वर्ष	मिनी डेयरी स्थापना का लक्ष्य	थ्मनी डेयरी स्थापित	दुधारू पशु क्रय	रोजगार सृजन	
					प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष
1.	2001–02	1205	1205	2410	4097	450
2.	2002–03	1280	1280	2560	4352	479
3.	2003–04	1315	1315	2630	4471	492
4.	2004–05	958	958	1916	3257	358
5.	2005–06	1450	1450	2900	4930	542
6.	2006–07	1468	1468	2936	–	–
7.	2007–08	1337	–	1337	–	–

योजनान्तर्गत सुरक्षा लाभ :–

- योजनान्तर्गत क्रय किये गये दो पशुओं हेतु 5 वर्ष तक का बीमा।
- योजनान्तर्गत लाभार्थी हेतु मु0 1.00 लाख रू0 (एक लाख रूपये) तक का दुर्घटना बीमा 5 वर्षो हेतु।

5. 10वीं पंचवर्षीय योजना तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना का भौतिक लक्ष्य व उपलब्धियॉः–

Physical Targets & Achievements

Tenth Five Year Plan (2002-07) & Eleventh Five Year Plan (2007-12)

Sr. No.	Items	Units	Tenth Five Year Plan (2002-07)		Eleventh Five Year Plan (2007-12)			Remark
			Tenth Plan Target	Actual Achievement	Eleventh Plan Target	Annual Plan 2007-08 Anticipated Achievement	Annual Plan 2008-09 Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	Organisation Of VDC's	Nos.	700	756	500	74	85	
2-	Revitalisation Of VDC's	Nos.	345	180	375	82	96	
3-	Milk Development Centres/Bulk Cooling Units	. Nos.	30	64	.....	.....	.....	
4-	Automatic Milk Weighing Machines	Nos.	40	45	60	5	11	
6-	SHG Organisation	Nos.	650	490	.....	.....	.....	
7-	Establishment Of Health-Cum-Delivery Centres	Nos.	130	117	.....	.....	.....	
8-	Saghan Mini Dairy Unit Establishment	Nos.	5000	6340	.....	962	1600	
9-	Working Societies (Cumulative)	Nos.	2745	3042	3650	3072	3400	
10-	Membership (Cumulative)	Nos.	135000	124468	145000	124468	149000	
11	Milk Procurement	Ltrs./day	150000	134482	175000	132360	150000	
12-	City Milk Sell	Ltrs./day	142000	117243	190000	127818	150000	
13-	Cattle Feed Sale (Cumulative)	M. Tons	47292	43682	60000	11187	12500	

6. दुग्ध विकास कार्यक्रमों के सुदृढीकरण हेतु आगामी वर्षो की रणनीतिः–

- **कृषि ऋण का विस्तार**– दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में सघन मिनी डेरी परियोजना एवं डेयरी वेंचर कैपीटल फण्ड योजनान्तर्गत दुधारू पशु क्रयार्थ ऋण/अनुदान की सुविधा के विस्तारीकरण हेतु सतत् प्रयास।
- **महिला सशक्तीकरण**–ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने एवं उनमें नेतृत्व विकास की भावना विकसित करने हेतु महिला दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु सत्त प्रयास।
- **स्वच्छ दुग्ध उत्पादन**–राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करने हेतु दुग्ध उत्पादकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।
- **प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार**–हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर जनपद में दुग्धशालाओं को संचालित किया जा रहा है। साथ ही, अल्मोड़ा दुग्धशाला का क्षमता विस्तार किया जा रहा है।
- **आई0एस0 ओ0 प्रमाणीकरण** –नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर दुग्धशालाओं को आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण कराया जायेगा।
- **एगमार्क प्रमाणीकरण**–ऑचल ब्राण्ड उत्पादित घी के एगमार्क प्रमाणीकरण हेतु कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
- **दुग्धशालाओं की कार्यप्रणाली की नेटवर्किंग**–उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों के दुग्धशालाओं की समस्त कार्यप्रणाली की नेटवर्किंग की जायेगी। इसके अतिरिक्त सभी विभागीय कार्यालयों को इण्टरनेट–कनेक्टिबिटी की सुविधा से पूर्ण किया जायेगा।
- **कार्मिकों का कौशल उच्चीकरण**–सभी स्तर के कार्मिकों का कौशल उच्चीकरण हेतु प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।
- **ऑचल ब्राण्ड का विपणन नेटवर्क**:–राज्य सेक्टर के अन्तर्गत **डेरी विकास योजना** में ऑचल ब्राण्ड के प्रचार–प्रसार हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में **आंचल ब्राण्ड** के तरल दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उपमदों; यथा–**टूरिस्ट स्थानों पर व सघन बाजारों में मिल्क पार्लर की स्थापना**, **विभिन्न प्रकार के तरल दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के बिक्री के प्रोमोशनल एक्टिविटीज़** (मिल्क टैस्टिंग

प्रोग्राम, घर–घर विजिटिंग, स्कूली बच्चों का डेरी भ्रमण, विभिन्न प्रकार के डेरी संबंधी प्रतियोगितायें, विज्ञापन हेतु पम्पलेट, बैनर, पोस्टर, वाल पेंटिंग आदि) तथा **डेरी विकास से संबंधित रेडियो व टी0वी0 चैनेल के माध्यम से विभिन्न प्रोमोशनल प्रोग्राम** आदि; हेतु धनराशि व्यय का प्रस्ताव है। इससे ऑचल ब्राण्ड दुग्ध विपणन को बढ़ावा मिलेगा।

- **डेरी विकास योजना (राज्य सेक्टर):**– वर्ष 2008–09 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत डेरी विकास योजना में प्राथमिकता के आधार पर सिविल कार्य व प्लाण्ट मशीनरीज़ मद में प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को भेजे गये हैं।

7. दुग्ध अवशीतन केन्द्र एवं डेरी प्लान्टों की स्थिति–

क्र. सं.	नाम जनपद	दुग्धशालाएं		टवशीतन केन्द्र		बल्क मिल्क कूलर	
		स्थान	क्षमता	स्थान	क्षमता	स्थान	क्षमता
1.	नैनीताल	लालकुंआ	50	भवाली	05	1.भवाली 2.छोई 3.खन्स्यूं 4.बैतालघाट	04 06 02 02
2.	उधमसिंहनगर	खटीमा	50	1. बाजपुर– 2. सिमला पिस्तौर– 3. लालपुर–	20 10 10	1.जवाहरनगर 2. बसगर 3.कौंधारतन 4. लालपुर 5. मदनापुर 6. कन्डेश्वरी 7. सकैनिया 8. बरहैनी 9. रूद्रपुर	05 02 04 06 02 02 02 02 04
3.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	20	1. ताड़ीखेत 2. चौखुटिया 3. मारचूला	05 02 02	1. जैंती	01
4.	बागेश्वर	–	–			1. कमेडी	02
5.	पिथौरागढ़	बिण	05	थल	02	1. बलुआकोट	01
6.	चम्पावत		–	ज़ूप पटवा	05	1. बनवसा	01
7.	देहरादून	देहरादून	20	–		1. लाखामण्डल 2. कालसी	02 01
8.	पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर	20	कोटद्वार	05	1. पाबौं 2. सुमाडी 3. सतपुली	01 01 02
9.	रूद्रप्रयाग		–	–		रूद्रप्रयाग	02
10.	चमोली	सिमली	05			1. पीपलकोटी	02

						2. सिमली	02
11.	टिहरी गढ़वाल	नई टिहरी	05			1. कांडीखाल 2. गडोलिया 3. सौंनधार 4. खाड़ी	01 01 01 01
12.	उत्तरकाशी		—	मातली	05	1. नौगांव 2. मातली	01 01
13.	हरिद्वार		30			1. रूड़की	07
	योग		**205**		**71**		**74**

8. सामान्य प्रगति विवरणः—

क्र. स	विवरण	वर्ष 2002—03	वर्ष 2003—04	वर्ष 2004—05	वर्ष 2005—06	वर्ष 2006—07	वर्ष 2007—08	अप्रैल, 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गठित दुग्ध समितियॉ	2266	2441	2862	2934	3042	3072	3072
2.	कार्यरत दुग्ध समितियॉ	—	—	—	—	—	—	2020
3.	सदस्यता	104874	113590	120202	115909	124468	124468	124638
4.	पोरर सदस्य	48564	42577	45434	49050	49314	48651	46506
5.	औसत दुग्धोपार्जन (कि.ग्रा./दिन)	101848	104243	119685	129596	134482	132360	126091
6.	तरल दुग्ध बिक्री (ली0/दिन)	66986	75173	84549	100046	117243	128718	152594
7.	पशुआहार बिक्री (मै0टन में)	6946	6258	8907	9894	11677	11187	952
8.	घी बिक्री (ली0 में)	335121	322628	299223	270342	344462	330471	28681
9.	मक्खन बिक्री (कि.ग्रा. में)	57461	55272	77632	93913	111199	122872	8562
10.	पनीर बिक्री (कि.ग्रा. में)	135025	141255	165482	197481	228504	259972	33561
11.	दही बिक्री (कि.ग्रा. में)	—	—	—	300208	606037	648133	91908

9. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारी का विवरणः–

9.1 निदेशालय, डेरी विकास विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) स्तरः–

9.1.1 अपीलीय अधिकारीः– **श्री पी0एस0कुटियाल, निदेशक,** डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

ई–मेल पताः– dirdairyvikas@yahoo.co.in

दूरभाष सं0ः– **95–5946–252052**

9.1.2 लोक सूचना अधिकारीः– **श्री संजय उपाध्याय, उपनिदेशक,** डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

ई–मेल पताः– dirdairyvikas@yahoo.co.in

दूरभाष सं0ः– **95–5946–252052**

9.1.3 सहायक लोक सूचना अधिकारीः– **डॉ0 कुमार अजीत सिंह, दुग्ध निरीक्षक,** डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

ई–मेल पताः– dirdairyvikas@yahoo.co.in

दूरभाष सं0ः– **95–5946–252052**

9.2 निदेशालय व समस्त जनपदीय विभागीय कार्यालयों में डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के लोक प्राधिकारी द्वारा नामित विभागीय अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारीगण का पद नाम तथा कार्यालय का पता निम्नवत् (सूचीबद्ध) हैं–

10. जिला सेक्टर योजना वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना हेतु अनुमोदित मार्ग–निर्देशिका

भूमिकाः–

दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जहॉ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध सहकारी समितियॉ गठित करते हुए उन्हें उनके द्वारा उत्पादित दूध की वर्ष पर्यन्त उचित दर पर विपणन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, वहीं दूसरी ओर नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों तथा विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता का दूध व दूध पदार्थों **''ऑचल ब्राण्ड''** की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। डेरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने, ग्रामीण स्तर पर मानव शक्ति का पलायन रोकने, उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में महिलाओं की अधिकतर भागीदारी सुनिश्चित करने एवं विशेषकर भूमिहीन, लघु एवं सीमान्त कृषकों व दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन को नवीनतम तकनीकी पशुआहार, पशुस्वास्थ्य एवं चारा विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही है।

मार्ग–निर्देशिकाः–

वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिला सेक्टर योजनान्तर्गत दुग्ध विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाऐं/कार्यक्रम चलाये जायेंगें।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरणः–

इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जायेंगेः–

(क–1) नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायताः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में कार्यरत व प्रस्तावित दुग्ध मार्गो पर ऐसे ग्राम जिनमें दुग्ध समिति गठन की सम्भावनाएं हो, सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा और सर्वेक्षण उपरान्त दुग्ध उत्पादन, उत्पादकों की भागीदारी, दुधारू पशुओं की संख्या एवं बिक्री योग्य दुग्ध मात्रा आदि को दृष्टिगत रखते हुए दुग्ध समिति संगठन हेतु ग्रामों का चयन किया जायेगा। इन चयनित ग्रामों में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन हेतु अवस्थापना विकास करने तथा इन दुग्ध समितियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु तीन वर्षो तक अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी जो प्रत्येक समिति के लिए प्रथम वर्ष में 33,700 रूपये होगी, द्वितीय वर्ष में रू0 8,000 एवं तृतीय वर्ष में लगभग रू0 5,800 रूपये ताकि कुल रू0 47,500 रू0 होगी। **मदवार एवं वर्षवार निर्धारित मानक संलग्नक (क) पर दर्शित है।**

(क–2) निष्क्रिय दुग्ध समितियों के जीर्णोद्वार हेतु सहायता (मात्र प्रथम वर्ष हेतु)–

पर्वतीय क्षेत्र में चारे की कमी एवं दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध होने तथा विभिन्न कारणोंवश कतिपय प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां निष्क्रिय हो चुकी है। ग्रामीण

क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रमों का संचालन दुग्ध मार्गों पर ही किया जा सकता है। अतः ऐसे दुग्ध समितियों का जीर्णोद्वार किया जाना आवश्यक है। दुग्ध समितियों के जीर्णोद्वार होने के फलस्वरूप अतिरिक्त दूध मात्रा संग्रह होने से दुग्ध परिवहन लागत में कमी आयेगी, जिसका लाभ अन्ततोगत्वा उत्पादकों को ही मिलेगा।

दुग्ध समितियों के जीर्णोद्वार हेतु मात्र प्रथम वर्ष में मु0 7,000.00 रू0 (रू0 सात हजार) मात्र प्रति दुग्ध समिति की आवश्यकता होगी, **जिसका विवरण संलग्नक (क) में दिया गया है**।

(ख) तकनीकी निवेश एवं प्रसार कार्यक्रमः–

प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा, डिवर्मिंग एवं टीकाकरणः–

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों के पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु ग्राम स्तर पर डिवर्मिंग, टीकाकरण एवं प्राथमिक पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत् सहायता कराये जाने का प्रस्ताव है।

(ख–1)	**डिवर्मिंग**	–	**40.00 रूपये प्रति पशु।**
(ख–2)	**टीकाकरण**	–	**15.00 रूपये प्रति पशु।**
(ख–3)	**प्राथमिक पशु चिकित्सा**	–	**30.00 रूपये प्रति पशु।**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उक्त सुविधा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु दुग्ध समितिवार लाभार्थियों की पंजिकाएं अलग–अलग प्रारूप पर रखी जाएगी।

(ख–4) फीडसप्लीमेन्ट (मिनरल मिक्स्चर) की आपूर्तिः–

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु फीड सप्लीमेन्ट की आपूर्ति की जायेगी। ऐसे दुगध उत्पादक जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हों उन्हें 50% अनुदान पर फीड सप्लीमेन्ट की आपूर्ति की जायेगी। एक किग्रा0 फीड सप्लीमेन्ट का मूल्य 60.00 रू0 निर्धारित किया गया है, जिसके लिए मु0 30.00 रू0 राजसहायता एवं मु0 30.00 रू0 लाभार्थी अंश के रूप में देय होगा। कृपया तद्नुसार ही राज सहायता का प्राविधान कराया जाय।

(ख–5) आपातकालीन पशुचिकित्सा सेवाः–

समस्त दुग्ध सहकारी समितियों में प्राथमिक पशुचिकित्सा, डिवर्मिंग व टीकाकरण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। समिति सदस्यों द्वारा आपातकालीन पशुचिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु निरन्तर अनुरोध किया जाता रहा है। अतः यह प्रस्ताव है कि दुग्ध समिति सदस्यों को अल्पसूचना पर निःशुल्क आपातकालीन पशुचिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाय। इस हेतु गत वर्ष की भांति ही आपातकालीन चिकित्सा यूनिट हेतु मु0 4.68 लाख रूपये प्रति यूनिट की दर से प्राविधान किया जाय, **जिसका विवरण संलग्न–क पर उल्लेखित है।**

(ख–6) पशुचिकित्सा कैम्प एवं पशु–प्रदर्शनीः–

दुग्ध समिति ग्रामों में पशुचिकित्सा कैम्प एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के रखरखाव के बढ़ावा देना है। कैम्प आवश्यक दवा

आदि की व्यवस्था विभागीय संसाधन अन्तर्गत की जायेगी तथा इन कैम्पों में पशुपालन विभाग का सहयोग लिया जायेगी। कैम्पों की व्यवस्था, प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति एवं पशुपालकों को पुरस्कृत करने हेतु मु0 5,000.00 रू0 (पॉच हजार रू0) मात्र प्रति कैम्प व्यय होगा। कृपया तद्नुसार ही प्राविधान कराया जाय।

(ख–7) संतुलित पशुआहार/यूरिया मोलेसिस ब्रिक अनुदान (यू0एम0बी0)

उत्तराखण्ड में चारे की अत्यन्त कमी है। अधिकांश दुधारू पशु कुपोषण के शिकार है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन कम है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को दुग्ध विकास योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उन्हें नियमित रूप से संतुलित पशुआहार/यूरिया मोलेसिस ब्रिक खिलाना अति आवश्यक है। अतः दुग्ध उत्पादकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, कि वे अपने दुधारू पशुओं को आवश्यकतानुसार संतुलित पशु आहार/ यूरिया मोलेसिस ब्लाक खिलायें। इस हेतु अनुदान की व्यवस्था निम्नवत की जायः–

पशु आहार/यू0एम0बी0 अनुदान– मैदानी क्षेत्र दर रू0 1.00/किग्रा0
पर्वतीय क्षेत्र दर रू0 2.00/किग्रा0

अनुदान की व्यवस्था गत वर्ष की वास्तविक उपलब्धियों, कुल संग्रहित दूध की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए की जाय। पशुआहार अनुदान की मांग वर्ष दौरान कुल संग्रहित दूध की मात्रा के सापेक्ष 20% तक सीमित रखी जाय।

(ख–8) दुग्ध कक्षः–

ऐसी दुग्ध समितियां जो स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हैं तथा जिनमें निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो सकेगी, उनमें दुग्ध कक्ष निर्माण कराया जायेगा। इस कार्यक्रम अन्तर्गत ऐसी दुग्ध समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी जहां पर महिला दुग्ध समिति सदस्यों की व्यापक भागीदारी है, इन दुग्ध कक्षों का उपयोग दुग्ध संग्रह, दुग्ध गुणवत्ता जांच के अतिरिक्त तकनीकी निवेश सेवाओं के विस्तारीकरण यथा–पशुआहार स्टॉक, प्राथमिक पशुचिकित्सा व जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु किया जायेगा। यह दुग्ध कक्ष दुग्ध समिति ग्राम में सामुदायिक डेरी विकास केन्द्र के रूप में कार्य करेंगें।

दुग्ध कक्ष – मैदानी क्षेत्र दर – रू0 2.50 लाख प्रति
पर्वतीय क्षेत्र दर – रू0 3.00 लाख प्रति

दुग्ध कक्ष निर्माण हेतु निर्धारित आगणन व नक्शा संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसके अनुसार भूसा गोदाम का निर्माण कराया जाना है।

(ख–9) भूसा गोदामः–

उत्तराखण्ड विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की अत्यन्त कमी है। ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। अधिकांश पशु कुपोषण के शिकार है जिसके कारण दुग्ध उत्पादन कम है तथा अधिकांश दुधारू पशु बांझपन के शिकार है। चारे की कमी, दुग्ध उत्पादन में कमी व बांझपन आदि की समस्याओं के कारण अधिकांश दुग्ध उत्पादकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है, अतः यह उचित होगा कि भूसे का पर्याप्त स्टॉक कर दुग्ध समिति सदस्यों को (**No Profit-No Loss**) के आधार पर उपलब्ध कराया जाय।

ऐसी दुग्ध समितियां, जो स्वावलम्बन की ओर अग्रसर है, तथा जहां इस प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो सकेगी, वहां भूसागोदाम की स्थापना की जायेगी। भूसागोदाम का संचालन सम्बन्धित दुग्ध सहकारी समिति द्वारा किया जायेगा। दुग्ध समिति द्वारा भूसा–चारे का भण्डारण कर समिति सदस्यों को आवश्यकतानुसार उचित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। भूसा गोदाम की स्थापना हेतु निम्नवत् प्राविधान किया जाय।

(1) मैदानी क्षेत्र – @ 3.00 लाख रूपये प्रति।
(2) पर्वतीय क्षेत्र – @ 3.50 लाख रूपये प्रति।

भूसा गोदाम निर्माण हेतु निर्धारित आगणन व नक्शा संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसके अनुसार भूसा गोदाम का निर्माण कराया जाना है।

(ख–10) हैडलोड अनुदान–

पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन अत्यन्त कम है तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुए (दूर–दूर) व रोड से दूर स्थित है। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दूध प्रतिदिन रोड हैड तक पहुंचाने में व्यवहारिक कठिनाई आती है। अधिकतर दुग्धशालाएं अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं है कि वे हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान करके दुग्ध क्रय कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामों तक पहुंचाने में कठिनाई आ रही है। अतः हैडलोड अनुदान उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव निम्नवत् किया जायः–

1. मैदानी क्षेत्र – 15 पैसा प्रति लीटर।
2. पर्वतीय क्षेत्र – 30 पैसा प्रति लीटर।

गत वर्ष में दुग्ध समितियों के माध्यम से संग्रहित दूध की वास्तविक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए हैडलोड अनुदान का प्राविधान कराया जाय।

(ख–11) इलैक्ट्रानिक मिल्को टेस्टर की स्थापनाः–

दुग्ध सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में 50 लीटर एवं मैदानी क्षेत्र में 100 लीटर से ऊपर प्रतिदिन दुग्ध संग्रह करने वाली दुग्ध समितियों में मिल्को टैस्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। मिल्को टैस्टर की स्थापना से दुग्ध समितियों की कार्यप्रणाली में अत्यन्त सुधार होगा। दुग्ध समितियों को मिल्को टैस्टर की स्थापना हेतु **25,000.00 रूपया प्रति समिति** की दर से सहायता का प्राविधान किया जायेगा।

(ख–12) दुग्ध समिति में आटोमैटिक मिल्क कलैक्शन यूनिट स्थापनाः–

दुग्ध योजनाओं के आधुनिकीकरण, स्वच्छ उपार्जन कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध समितियों में आटोमैटिक मिल्क कलैक्शन सेन्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पर्वतीय क्षेत्र में 100 लीटर तथा मैदानी क्षेत्र में 200 लीटर से ऊपर दैनिक दुग्ध उपार्जन करने वाली दुगध समितियों में अनुदान पर आटोमैटिक मिल्क कलैक्शन सेन्टर स्थापना हेतु **प्रति यूनिट मु0 1.15 लाख रू0** का प्राविधान किया जाय।

(ख–13) प्रसार कार्यक्रमः–

विभागीय योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने हेतु जनजागरण अभियान चलाया जायेगा, जिसके अन्तर्गत दुग्ध समितियों में वालपेन्टिंग कर प्रदत्त सुविधाओं का

विवरण, पोस्टर, पैम्पलेट वितरण आदि किया जायेगा। इस हेतु **प्रति दुग्ध समिति रू0 1,000.00 (रू0 एक हजार)** मात्र की दर से प्राविधान किया गया हैं।

(ख–14) भूसा क्रय हेतु रिवाल्विंग फण्डः–

ऐसी दुग्ध सहाकारी समितियां जहां पर भूसा गोदाम की स्थापना की जा चुकी है तथा **No Profit No Loss** के आधार पर भूसा विक्रय हेतु सहमत हों, को ग्रीष्म ऋतु में भूसा क्रय हेतु रिवाल्विंग फण्ड की सुविधा प्रदान की जायेगी। भूसा क्रय हेतु एक मुश्त मु0 50,000.00 रू0 की आवश्यकता होगी, जिसके समक्ष 50% दुग्ध समिति का अंश तथा 50% राज्यांश होगा। स्वीकृत राज्यांश को सम्बन्धित दुग्ध समिति द्वारा 5 वर्षो के अन्दर राज्य सरकार को वापस करना होगा।

(ख–15) दुग्ध समितियों हेतु क्रियाशील पूंजीः–

दुग्ध समिति सदस्यों को सामयिक दुग्ध मूल्य भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु क्रियाशील पूंजी उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु ऐसी दुग्ध समितियां, जो लाभ अर्जित कर रही है, को यह सुविधा प्रदान की जायेगी। इस हेतु 20,000.00 रू0 प्रति दुग्ध समिति को क्रियाशील पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसके समक्ष 50% दुग्ध समिति का अंश तथा 50% राज्यांश होगा। स्वीकृत राज्यांश को सम्बन्धित दुग्ध समिति द्वारा 5 वर्षो के अन्दर राज्य सरकार को वापस करना होगा।

(ख–16) दुग्ध समिति स्तर पर दुग्ध उत्पादन विविधीकरणः–

दूरस्थ ग्रामों में स्थित दुग्ध सहकारी समितियों से दुग्ध संग्रह कार्य अत्यन्त दुष्कर एवं मंहगा होता है। ऐसी दुग्ध समितियों को स्थानीय दुग्ध उत्पाद तैयार करने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा। इस हेतु प्रति दुग्ध समिति मु0 20,000.00 रू0 की आवश्यकता होगी, जिसके समक्ष 50% सम्बन्धित दुग्ध समिति का अंश तथा 50% राज्यांश होगा।

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजनः–

दुग्ध समिति सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने ताकि उनके उच्चीकरण हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रति लाभार्थी टी0ए0 व डी0ए0 तथा ट्रेनिंग मैटेरियल सहित निम्नानुसार धनराशि का प्राविधान किया जाय।

क0 सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	दर/दिन	सहायता रू0
ग–1.	नई दुग्ध समितियों के सचिवों का प्रशिक्षण	15 दिन	300.00	4500.00
ग–2.	समिति सचिव रिफ्रेसर प्रशिक्षण	7 दिन	300.00	2100.00
ग–3	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	3 दिन	300.00	900.00
ग–4.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	300.00	900.00
ग–5.	स्टाफ प्रशिक्षण	7 दिन	500.00	3500.00
ग–6.	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	1 दिन	प्रतिगोष्ठी	1000.00

(घ) स्वच्छ दुग्ध उत्पादनः–

(घ.–1.) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरणः–

दुग्ध समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट जिसमें नेलकटर, अडर स्प्रे, डिटॉल, साबुन, तौलिया, मैसटाइटिस स्ट्रिप, फिनायल, आदि सम्मिलित होगा, वितरित की जायेगी। प्रति स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट @ 300.00 रू0 की आवश्यकता होगी। तद्नुसार ही प्राविधान कराया जाय।

(घ.–2) मिल्किंग मशीनः–

ऐसी दुग्ध समितियां, जो सामुदायिक स्थान पर दुग्ध दुहान करने हेतु सहमत हों, उन्हें मिल्किंग मशीन की सुविधा प्रदान की जायेगी। मिल्किंग मशीन हेतु मु0 1.50 लाख रू0 की आवश्यकता होगी, जिसके समक्ष 50% सम्बन्धित दुग्ध समिति एवं 50% राज्यांश होगा।

(घ.–3) पशुशाला निर्माणः–

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु चयनित दुग्ध समितियों में पशुशाला निर्माण कराया जायेगा। 1 (एक) पशु एवं बछड़े हेतु 60 वर्ग फुट एरिया की आवश्यकता होती है। पशुशाला निर्माण हेतु @ 150/– प्रति वर्ग फुट की दर से 9,000.00 रू0 की आवश्यकता होगी, जिसके समक्ष 50% सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा एवं शेष 50% राज्यांश द्वारा वहन किया जायेगा।

(घ.–4.) सिन्थेटिक मिल्क टेस्टिंग किट वितरणः–

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के अन्तर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिन्थेटिक मिल्क के प्रचलन के दृटिगत् उसके दुष्प्रभाव से उपभोक्ताओं/उत्पादकों को बचाव हेतु समस्त प्राथमिक दुग्ध समितियों में आवश्यकतानुसार सिन्थेटिक मिल्क टेस्टिंग किट वितरण आवश्यक होगा। इस हेतु प्रति सिन्थेटिक मिल्क टेस्टिंग किट @ 500.00 रू0 की आवश्यकता होगी। तद्नुसार ही प्राविधान कराया जाय।

नोटः–

1. डेरी विकास विभाग में जिला सेक्टर योजनान्तर्गत केवल एक ही योजना **''ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण''** चालू है। मार्ग निर्देशिका में अनुमोदित मदों के अन्तर्गत ही जी0एन0–1 एवं जी0एन0–2 में धनराशि प्रस्तावित किया जाये तथा स्वीकृत मानक मदों के अतिरिक्त अन्य किसी मद अन्तर्गत धनराशि का परिव्यय न कराया जाय।
2. योजनान्तर्गत सामान्य, एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत सहायता का उपयोग कहां और किस प्रकार किया जायेगा, इस आशय का पूर्ण औचित्य योजना में उल्लेख किया जाय।
3. **उपरोक्त उल्लेखित मद/मदों, मदों में प्रस्तावित निर्धारित धनराशि अथवा निर्धारित मानक में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में विना निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) की अनुमति के न किया जाय।**
4. योजनान्र्तगत सामान्य, स्पेशल कम्पोनेट सबप्लान एवं ट्राइबल सब प्लान में आवश्यक धनराशि एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अलग–अलग दर्शित किया

जाय। उपयोग कहां व किस प्रकार किया जायेगा, इस आशय का पूर्ण औचित्य योजना में उल्लेख किया जाय। राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0 (अनुसूचित जाति उपयोजना) में 18% तथा टी0एस0पी0 (अनुसूचित जाति उपयोजना) में 3% की धनराशि का परिव्यय निर्धारण हेतु निर्देश दिए गए हैं।

(संलग्नक–क)

वार्षिक जिला योजना वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित मानकों का विवरण

मार्ग निर्देशिका

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरणः–

जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण दुग्ध सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रति समिति प्रस्तावित वित्तीय सहायता के मानक की मार्ग निर्देशिका का अनुलग्नक।

क्र0 सं0	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	धनराशि (रू0 में)
(क–1) नई समितियों के गठन हेतु सहायता					
1.	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन आदि	3,000	2,000	1,000	6,000
2.	फर्नीचर एवं कन्टीजैंसी	3,000	—	—	3,000
3.	दुग्ध कैन	7,000	—	—	7,000
4.	प्रबन्धकीय अनुदान	7,200	6,000	4,800	18,000
5.	प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवाएं	3,000	—	—	3,000
6.	कार्यशील पूंजी	10,000	—	—	10,000
7.	सिंथेटिक मिल्क टेस्टिंग किट	500	—	—	500
	योगः–	**33,700**	**8,000**	**5,800**	**47,500**

(क–2) निष्क्रिय दुग्ध समितियों के जीर्णोद्धार हेतु सहायता (मात्र प्रथम वर्ष हेतु)

(1)	क्रियाशील पूंजी	—	रू0 5,000.00
(2)	दुग्ध जांच उपकरण व रसायन आदि	—	रू0 2,000.00
	योगः–		**रू0 7,000.00**

(ख) तकनीकी निवेश एवं प्रसार कार्यक्रम हेतु सहायताः–

(ख–1)	डिवर्मिंग	@	40.00 रू0 प्रति
(ख–2)	वैक्सीनेशल	@	15.00 रू0 प्रति
(ख–3)	प्राथमिक पशुचिकित्सा	@	30.00 रू0 प्रति
(ख–4)	फील्ड सप्लीमेन्ट (मिनरल मिक्सर)	@	30.00 रू0 प्रति किग्रा0

(ख–5) आपात्कालीन पशुचिकित्सा यूनिटः–

पशुचिकित्सक @ 11 हजार रू0 12 माह हेतु **रू0 1.32 लाख**
वाहन 100 कि.मी./दिन/30 दिन/12 माह @ 6 रू0/कि.मी. **रू0 2.16 लाख**
दवा क्रय हेतु 100 केस प्रतिमाह/12 माह@ 100/प्रति केस **रू0 1.20 लाख**

योगः– रू0 4.68 लाख

(ख–6)	पशु चिकित्सा एवं पशु प्रर्दशनी कैम्प–	@5000.00 रू0 प्रति कैम्प।
(ख–7)	पशु आहार अनुदान	
	(क) पर्वतीय क्षेत्र	@2.00/–रू0 प्रति किग्रा0
	(ख) मैदानी क्षेत्र	@1.00/–रू0 प्रति किग्रा0
(ख–8)	दुग्ध कक्ष निर्माण–	
	(क) पर्वतीय क्षेत्र	@ 3.00 लाख रू0
	(ख) मैदानी क्षेत्र	@ 2.50 लाख रू0
(ख–9)	भूसा गोदाम की स्थापना–	
	(क) पर्वतीय क्षेत्र	@ 3.50 लाख रू0
	(ख) मैदानी क्षेत्र	@ 3.00 लाख रू0
(ख–10)	हैडलोड अनुदान–	
	(क) पर्वतीय क्षेत्र	@30 पैसा/ली0/कि0मी0
	(ख) मैदानी क्षेत्र	@15 पैसा/ली0/कि0मी0
(ख–11)	इलैक्ट्रानिक मिल्को टैस्टर की स्थापना	@ 25,000.00 रू0 प्रति
(ख–12)	ऑटोमैटिक मिल्क कलैक्शन सेन्टर की स्थापना	@ 1.15 लाख रू0 प्रति
(ख–13)	भूसा क्रय हेतु रिवाल्विंग फण्ड (5 वर्षो में राज्य सरकार को वापस करना है)	@ 25,000.00 रू0
(ख–14)	दुग्ध समितियों हेतु क्रियाशील पूंजी	@ 10 हजार रू0 तक
(ख–15)	दुग्ध समिति स्तर पर दुग्ध उत्पाद विविधीरकरण	@ 10 हजार रू0 तक
(ख–16)	प्रसार कार्यक्रम	@1,000 रू./दुग्ध समिति

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सहायताः–

क0 सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	दर/दिन	सहायता रू0
1.	नई दुग्ध समितियों के सचिवों का प्रशिक्षण	15 दिन	300.00	4,500.00
2.	समिति सचिव रिफ्रेशर प्रशिक्षण	07 दिन	300.00	2,100.00
3.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	03 दिन	300.00	900.00
4.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	03 दिन	300.00	900.00
5.	स्टाफ प्रशिक्षण	07 दिन	500.00	3,500.00
6	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	01 दिन	प्रतिगोष्ठी	1,000.00

(घ) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायताः–

क0सं0	विवरण	छर
1.	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	@ 300 रू0 प्रति किट।
2.	मिल्किंग मशीन	@ 75,000.00 रू0।
3.	पशुशाला निर्माण (1पशु व बछड़ा हेतु 60 वर्ग फुट)	@ 4,500.00 रू0।
4.	सिन्थेटिक मिल्क टेस्टिंग किट वितरण	@ 500 रू./किट/दुग्ध समिति